Ex.P.-481

कथन – एम.आर. देवांगन

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	महेश राम देवांगन पिता स्व. बिसाल देवांगन
उम्र	–	52 वर्ष
वर्तमान पता	–	मकान नं.–01, कालिंदी कुंज, सारंगढ़ रोड़, रायगढ़ (छ0ग0)
स्थाई पता	–	एम.आई.जी.–02 / 312, सेक्टर–02, डी.डी. नगर रायपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	8817903512, 91658–27871
व्यवसाय	–	जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायगढ़ (छ0ग0)

––00––

मैं महेश राम देवांगन पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं जिला प्रबंधक के पद पर नागरिक आपूर्ति निगम, रायगढ़ में 10 फरवरी 2014 से पदस्थ हूं। इसके पूर्व मैं उप लेखा अधिकारी (नोडल अधिकारी) के पद पर जगदलपुर में पदस्थ था। मेरा शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03512 है तथा पर्सनल मोबाईल नंबर 91658–27871 है, यह नंबर मेरे परिचित सुनील गोयल के नाम पर है, मैं लगभग ढाई वर्ष से इस नंबर का उपयोग कर रहा हूं।

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर 91658–27871 से श्री **एस.एस. भट्ट** प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर 93036–78423 पर हुई बात का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 31.01.2015 के 11:41:15 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 31.01.2015 के 11:41:52 बजे का कॉल मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर से श्री **भट्ट** से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा श्री भट्ट को बताया गया था कि मेरे कार्यालय का कनिष्ठ सहायक सुनील देवांगन पैसे लेकर रायपुर गया है और पूछा था कि पैसे किसको देना है। इस पर भट्ट साहब द्वारा उनके कार्यालय के स्टेनो टायपिस्ट अरविन्द ध्रुव को देने के लिये बताया गया था। सुनील को राईस मिलर्स से कलेक्शन का पैसा लेकर हमारे कार्यालय के कनिष्ठ तकनीकी सहायक क्षीरसागर पटेल ने भेजा था। क्षीरसागर ने कितने पैसे भिजवाये थे मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने पटेल के कहने पर ही भट्ट साहब को फोन कर उक्त बात बताया था। यही मेरा कथन है।

दिनांक 27.03.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक